

उद्देश्य ..

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थना अनुपस्थित है।
प्रार्थना स्वयं भी अनुपस्थित है। इसी ओर से
कोई अन्त वकील भी उपस्थित नहीं है। बार-बार
आवाजे लगावारी गई। परन्तु न्यायालय समय
तक कोई भी उपस्थित नहीं हुए। अतः राजस्व
प्रार्थना पत्र अदम दायरी अदम पैली में खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैलल शुमार हो। नम्बर
लेकम होकर दायिल दफतर हो।

उपस्यंड अधिकारी

भिनाय (केकड़ी)